राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 10/2022
निर्णय दिनाक :– 30/09/2022

प्रार्थी :–

1. सिद्धराजसिंह पुत्र सत्यनारायणसिंह जाति–राजपूत
   निवासी–जोजावर, तहसील–मारवाड जंक्शन
   हाल मौजा ग्राम–कोट सोलंकियान तहसील–देसूरी

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री चन्दन सिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30.09.2022**

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ पटवार हल्का ग्राम–कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 703 क्षेत्रफल 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पटवार हल्का ग्राम कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 703 क्षेत्रफल 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 30 फीट चौडा एवं पूरी लम्बाई में (जिसका जितना क्षेत्रफल बने) रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी में से खसरा नम्बर 702 किस्म गै0मु0 रास्ता में जाने हेतु 4082 वर्ग मीटर की मांग की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज नम्बर 02 पर...

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 10/2022 अनवान सिद्धराजसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/238 दिनांक 01.06.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 27.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

4–अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी के द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1254 दिनांक 27.07.2022 के जरिये पटवार हल्का कोट सोलकियान व भू0अ0नि0 मगरतलाव से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम कोट सोलकियान की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 703 क्षेत्रफल 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आवगमन के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी मे से खसरा नम्बर 702 किस्म गै0मु0 रास्ता तक जाने की मांग की है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।
3. प्रार्थी पूर्व में भी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने बाबत खसरा नम्बर 702 किस्म गै0मु0 रास्ता से होते हुए प्रस्तावित रास्ते खसरा 704 रकबा 99.24 हेक्टर में से ही आना जाना करता था।
4. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर मे से 1464 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 x 30 = 43920 वर्गफिट अथवा 4080.30 वर्गमीटर बनता है, जो दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 180401/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 4082 वर्गमीटर की राशि रूपये 73640/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 147280/– बनती है।

5–बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जाच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी को खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होने से प्रार्थी को खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर मे से उत्तर से पश्चित की ओर 1464 फिट लम्बा एवं [illegible] फिट चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 03 पर....

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर में से ही हैं। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एव पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोट सोलंकियान पटवार मण्डल कोट सोलंकियान खसरा नम्बर 703 कुल रकबा 0.8100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी में से उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से पश्चिम 1464 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 x 30 = 43920 वर्गफिट अथवा 4080.30 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 147280/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 1464 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 x 30 = 43920 वर्गफिट अथवा 4080.30 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 147280/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम कोट सोलंकियान पटवार मण्डल कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 703 कुल रकबा 0.8100 हेक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 99.24 हेक्टर में से उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर 1464 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 x 30 = 43920 वर्गफिट अथवा 4080.30 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गेहलोत)
(एस) सहायक कलक्टर,
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.9.2022 को मेरे द्वारा लिखवाकर सुनाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी) देसूरी (पाली)